भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1239

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

इलायची उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता

1239. डॉ. शशि थरूर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में 'किसानों को निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' योजना (स्पाइस्ड) के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इलायची उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना पट्टे पर ली गई भूमि पर इलायची उगाने वाले किसानों तक विस्तारित है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इलायची की खेती के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग करने वाले इलायची किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्पाइसेस बोर्ड केरल राज्य सहित पूरे भारत में मसाला क्षेत्र के हितधारकों के लाभ के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना (स्पाइस्ड)" , को लागू कर रहा है। इलायची उत्पादक उपरोक्त योजना के तहत उत्पादन, विकास और कटाई पश्चात् सुधार गतिविधियों जैसे कि पुनर्रोपण, रोपण सामग्री उत्पादन, जल स्रोतों और सिंचाई संरचनाओं के विकास, धुलाई, सुखाने, पॉलिशिंग और ग्रेडिंग संबंधी उपकरणों आदि के लिए

सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान केरल के किसानों को 5.21 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

(ख): इलायची उत्पादकों को योजना के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्पाइसेस बोर्ड की योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की भूमि-धारक व्यक्तिगत पंजीकृत इलायची उत्पादक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए विस्तृत अर्हताएं जैसे पात्रता मानदंड, अपेक्षित दस्तावेज़ आदि बोर्ड की वेबसाइट (www.Indianspices.com) पर प्रकाशित की गई हैं और उसे इस लिंक से एक्सेस किया जा सकता है:
https://www.indianspices.com/sites/default/files/Guidelines%20for%20implementation%20of%20SPICED%20Scheme-signed.pdf

(ग) से (ड.): पट्टे पर ली गई भूमि पर इलायची उत्पादक किसान संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी वैध पट्टा आदेश, जिसमें पट्टे की अवधि निर्दिष्ट हो, प्रस्तुत करने तथा अपेक्षित दस्तावेज जमा करने तथा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

****